भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3389

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन

3389. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली में स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो अब तक कुल कितने स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) दिल्ली में उन जिलों या क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां इनमें से प्रत्येक एटीएस स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन एटीएस की स्थापना के लिए अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और निर्धारित मानदंडों के आधार पर कितने आवेदकों का चयन किया गया है और कितने स्थानों के लिए पीआरसी जारी किए गए हैं; और

(घ) जिन आवेदकों को पहले ही शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है, उन्हें पीआरसी जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं और सरकार का इन्हें कब तक पीआरसी जारी करने का विचार है और इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार द्वारा दिनांक 23.09.2021 को सा.का.नि 652 (अ) जारी किया है, जिसमें स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यह अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है। इन नियमों को दिनांक 31.10.2022 के सा.का.नि.797 (अ) और दिनांक 14.03.2024 के सा.का.नि.195 (अ) के माध्यम से और अधिक संशोधित किया गया है।

वर्तमान में, देश के 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 177 एटीएस कार्यरत हैं, जिनमें से केवल दिल्ली के झुलझुली में स्थित एटीएस के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी किया गया है।

(ग) और (घ) स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियमावली के नियम 174 के उप-नियम (1) के खंड (iv) के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकार द्वारा नामित 'पंजीकरण प्राधिकारी' को प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी करने और पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करने और नवीनीकरण करने का अधिकार होगा। अतः, एटीएस की स्थापना के लिए पीआरसी और आरसी जारी करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

*****